न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :—94/2024
दायर दिनांक :— 02/12/2024
निर्णय दिनांक :—19/11/2025

उनवान

1. श्री भैरूलाल पिता रामा गाड़री निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री रतन पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
2. श्री देवीलाल पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. श्री उदेराम पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
4. श्री मिठू पिता भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
5. मु. गटू बेवा भीमा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
6. श्री जीतरिया पिता मेघा भील निवासी अनोपपुरा तहसील भूपालसागर
7. श्री मांगू पिता मेघा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
8. श्री छोगा पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
9. श्री मगनीराम पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
10. श्री शंकर पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
11. श्री नारायण पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
12. श्री रोशन पिता रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
13. मु. राजी बेवा रूपा भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
14. श्री भैरू पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
15. श्री उदा पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
16. श्री रोडू पिता सोला भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
17. श्रीमती देऊ पुत्री सोला पत्नी उदा भील निवासी इन्द्रानगर, मुंगाना तहसील कपासन
18. श्री कालू पिता लालू भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
19. मु. इन्द्रा पुत्री भगवान पत्नी काना भील निवासी गुरजानिया तहसील राशमी
20. श्री मांगू उर्फ गागू पिता लालू भील निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा—88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री बालेंद्र कोठारी, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् अंतर्गत धारा—88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:—

यह कि ग्राम कानाखेडा तहसील भूपालसागर मे गत पैमाइश की कृषि आराजियात आ0स0 372 रकबा 5 बिस्वा— आ.चा., आ0स0 862 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा स्थित थी, जो राजस्व रिकार्ड में मेघा, सोला, लाला पिता श्री एकलिंग भील निवासी कानाखेडा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी और उन्होने उक्त आराजियात जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 10.02.1961 को श्री रामा पिता दोला गाडरी निवासी कानाखेडा को 800/रूपया में विक्रय कर कब्जा सौंप दिया और तब से उक्त आराजियात पर रामाजी का कब्जा था। रामाजी गाडरी की मृत्यु हो गई और उनका एकमात्र वारीश पुत्र वादी श्री भैरूलाल है तथा विक्रेतागण मेघा, सोला, लाल की भी मृत्यु हो गई तथा उनके वारीश प्रतिवादीगण है, वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त जमीन प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है मगर इनकी मृत्यु हो गई है तथा इनके वारीश प्रतिवादी न0 1 से 5 तक तथा प्रतिवादी न0 9 से 13 तक व प्रतिवादी न0 19 है अतः इनको प्रतिवादीगण बनाया है। हाल पैमाईश मे उक्त आ0स0 372 के नए नंबर 629 रकबा 0.06 है0 एवं आ0स0 862 के नए नंबर 1409 रकबा 4.44 है0 व 1495/128 रकबा 0.50 हैक्टर बने है वादी के पिता की मौत हो जाने से व उस समय वादी की बाल्यावस्था होने से उक्त आराजियात क्रयशुदा वादी के पिता या वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हो सकी है और इसकी जानकारी वादी को समय पर नही हो सकी थी। उक्त आराजियात के खातेदार विक्रेतागण भील जाति के थे और क्रेता गाडरी जाति के थे और सन 1964 में धारा 42 राजस्थान टिटेन्सी एक्ट में ऐसे अंतरण को अवैध माना गया है मगर सन् 1964 के पूर्व में किए गए अंतरण वैध माने गए है व सन् 1964 के उक्त संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है और मौजूदा अंतरण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिए किया जाकर कब्जा क्रेता को प्रदान किया गया अतः धारा 42 रा0टि0ए0 के प्रावधान इस पर लागू नही होते है तथा उक्त अंतरण पूर्णतया वैधानिक है तथा क्रेता को पूर्ण खातेदारी अधिकार प्रदान करता है और वादी उक्त आराजियात का खातेदार होकर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.22 10:12:22 IST
Reason: SelfAttested

हाल में प्रतिवादीगण ने जैरबहस आराजियात अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से वादी के कब्जे में दखलंदाजी करने व उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, अतः वादी को यह वादपत्र पेश करने की आवश्यकता हुई तथा इस आशय की घोषणा किया जाना आवश्यक हो गया है कि जैरबहस आराजियात का वादी खातेदार होकर काबिज है तथा मौजूदा रेवेन्यू रिकार्ड में जो प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है वह इंद्राज गलत गलत होने से दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदाजी करने तथा जमीन खुर्द बुर्द करने की धमकी देते है अतः उनको जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है अन्यथा वादी के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा व उसकी यह जमीन जबरन छीन ली जाएगी तो वादी को भारी असुविधा व क्षति होगी तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा होगी और इन सबकी क्षतिपूर्ति भी किसी भी तरह से करना संभव नही होगा। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजियात वादी के नाम दर्ज कराने तथा दखलंदाजी नही करने हेतु कहा तो नही मानते है। अतः बिनाय दावा पैदा हुई है जिसकी शुरूआत दिनांक 20.11.2024 से है तथा निरंतर पैदा हो रही है अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की जावे कि ग्राम कानाखेडा तहसील भूपालसागर की आ0स0 629 1409 1495/1238 वादी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है तथा मौजूदा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज है। अतः उसको हटाया जाकर वादी का नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जावें । वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे कि वादी के कब्जेकाश्त की उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण कोई दखलदांजी नही करे व वादी को इस पर आने जाने व काश्त करने में कोई बाधा नही डाले व फसल व बाड को क्षति नही पहुचावें तथा इसके रहन विक्रय या अंतरित नही करे व अपने नौकर एजेट परिवारजन आदि को भी इस हेतु प्रेरित नही करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए बाद सम्मन तामील प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 17 व 19 उपस्थित नही आने पर दिनांक 16.11.17 को इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रतिवादी संख्या 18 व 20 ने इकबाली जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही होने व इकबाली जवाब पेश किया जाने से तनकीयात कायम नही की गई। वकीलवादी ने शहादत वादी एकतरफा में शपथ पत्र श्री भैरूलाल पी डब्लयू 1. श्री भूरा पी डब्ल्यू 2. श्री खेमा पी डब्ल्यू 3 प्रस्तुत किए जिन्हें दिनांक 19.12.2019 को शामिल पत्रावली किया जाकर रिकार्ड पर लिया गया। वादी द्वारा पेश दस्तावेज दिनांक 05.04.2022 को प्रदर्श किए गए, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श 1 ए है, असल विक्रयपत्र वादी को लौटाया गया, जो प्रदर्श 1 है, साबिक जमाबंदी प्रदर्श 2 है, हाल जमाबदी प्रदर्श 3 है, मिलानशीट प्रदर्श 4 है।

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 07.10.2024 से पुनः रिमाण्ड़ होकर प्राप्त हुआ। इस पर मान. न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से दिनांक 07.01.2025 को कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण के शपथपत्र अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ पत्र व वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (14) में निर्देश हैं कि विक्रय जब प्रभावित नहीं होगा – धारा 42 के द्वारा प्रतिबंध दिनांक 02.05.1964 को प्रभावशील हुआ, जब कि विक्रय पत्र दिनांक 24.02.1961 का था। अभिनिर्धारित कि यह विक्रय पत्र इस धारा से प्रभावित नहीं होता और विक्रय पत्र अपास्त किये जाने के लिये दायी नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा '42 की रोशनी में वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर की आ. सं. 629, 1409, 1495/1283 वादी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है तथा मौजूदा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज है उसको हटाया जाकर वादी का नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जावे। इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.22 10:12:22 IST
Reason: SelfAttested